न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03 / 2023

प्रविष्टि दिनांक 03.01.2023

जरिये रामभजन मीना,प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0 न्यू साबरा होटल,होटल चन्द्रलोक के पास हाई–वे टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी – स्वंय उपस्थित

निर्णय **दिनांक 30.01.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 20.12.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मै. न्यू साबरा होटल, होटल चन्द्रलोक के पास हाई–वे टोंक मौके पर व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से नॉनवेज खाना बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी के माध्यम से अवैध रूप से नॉनवेज खाना बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था । अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(सभी मात्रा कि0ग्रा0 में)

क्र0स0	एस0आर0 नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	410570 S	IOC	14.2	15.8	27.5	11.7
2	165963 S	IOC	14.2	15.6	15.6	0
						11.7

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर मिठाई/नमकीन बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 11.7 KG एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व गैस भट्टी को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 20.12.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मै. न्यू साबरा होटल, होटल चन्द्रलोक के पास हाई–वे टोंक मौके पर व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से नॉनवेज खाना बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी के माध्यम से अवैध रूप से नॉनवेज खाना बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था।घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर मिठाई/नमकीन बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है।जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र मारवाडी पुत्र मदनलाल की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है।उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 11.7 KG एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व गैस भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 20.12.2022 के अनुसार मै. न्यू साबरा होटल,होटल चन्द्रलोक के पास हाई–वे टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहे उक्त 2 सिलेण्डर

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

मय रेगुलेटर पाईप,रबर पाईप व गैस भट्टी सहित मोके पर जब्त कर तोल पर्ची तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा कि0ग्रा0 मे)

क्र0स0	एस0आर0 नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	410570 S	IOC	14.2	15.8	27.5	11.7
2	165963 S	IOC	14.2	15.6	15.6	0
						11.7

जांच करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर इकराम,जावेद तथा महेन्द्र के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी इकराम,जावेद तथा महेन्द्र के हस्ताक्षर है। टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र मारवाडी को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व खाध सामग्री बनाने के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 2 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 11.7 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक